

भा. नि.

संख्या:- ०७

अतिमहत्वपूर्ण / ईमेल / फैंक्स पत्र
/ XX(8) / 25-04(विदेशी) / 2023

प्रेषक,

निवेदिता कुकरेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड देहरादून
3. आयुक्त,
गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तराखण्ड।

2. अपर पुलिस महानिदेशक,
अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. पुलिस महानिरीक्षक,
गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक
उत्तराखण्ड

गृह अनुभाग-8

देहरादून : दिनांक 25 अप्रैल, 2025

विषय:-पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के वीजा के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, (PAI Division), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-J/103/01/2025, दिनांक 25.04.2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अवगत कराया जाना है कि दिनांक 22.04.2025 को पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में हुए आतंकवादी हमले के दृष्टिगत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों हेतु वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्गत वर्तमान में सभी वैध वीजाओं को दिनांक 27.04.2025 से निरस्त (Revoked) किये जाने संबंधी सूचना से अवगत कराते हुए अवगत कराया गया है कि पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्गत किये गये मेडिकल वीजा केवल दिनांक 29.04.2025 तक ही वैध होंगे। उक्त के अतिरिक्त उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि उपरोक्तानुसार वीजा का निरसन दीर्घकालिक वीजा (L.T.V.) तथा राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा धारकों के संबंध में लागू नहीं होगा।

कमश:-2

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार उक्त सन्दर्भित पत्र में विहित अपेक्षा के क्रम में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(निवेदिता कुकरेती)

अपर सचिव।

आ.नि. संख्या- ०७ /XX(8)/25-04(विदेशी)/2023, दिनांक- 25.04.2025

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का उक्त संदर्भित पत्र इस आशय से प्रेषित कि उक्त संदर्भित पत्र में विहित आदेश का जनसामान्य के मध्य व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(निवेदिता कुकरेती)

अपर सचिव।

J/103/01/2025
Government of India
Ministry of External Affairs
(PAI Division)

आ.क्र 7/XX(B)25

Room No. 149 C, South Block, New Delhi-110001

Dated 25 April 2025

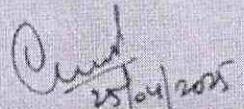
OFFICE MEMORANDUM

Subject: Decision regarding visas of Pakistani nationals.

The undersigned is directed to inform that it has been decided to suspend visa services to Pakistani nationals with immediate effect. All existing valid visas issued by India to Pakistani nationals stand revoked with effect from 27 April 2025. Medical visas issued to Pakistani nationals will be valid only till 29 April 2025.

2. It may be noted that the revocation of visas specified in the above decision does not apply to holders of Long Term Visas (LTVs) and diplomatic and official visas.

3. This issues with the approval of Competent Authority.


25/04/2025
(Vipul Bawa)

Deputy Secretary (Pakistan)

Tel. 23016971

Email: uspak@mea.gov.in

To:

- ✓ 1. Joint Secretary (Foreigners & IS-I), MHA, New Delhi.
2. Joint Secretary (BM-I), MHA, New Delhi.
3. Commissioner of Immigration, BOI, MHA, New Delhi.
4. Joint Director (Pakistan), IB, MHA, New Delhi.

Copy to:-

1. Additional Secretary, PMO, New Delhi.
2. Joint Secretary (CPV), MEA, New Delhi.